

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2006

फा. क्र. 6-6-06-इक्कीस-ब-दो.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 6 के साथ पठित धारा 28 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश न्याय सेवा सदन नियम, 2006 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39);

(ख) “मुख्य न्यायमूर्ति” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति;

(ग) “कार्यकारी अध्यक्ष” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष;

(घ) “राज्य प्राधिकरण” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण;

(ङ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, या यथास्थिति तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष;

(च) “पक्षकार” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसका कोई मामला न्यायालय/अधिकरण के समक्ष लंबित है या कोई व्यक्ति, जो अपने विवाद/मामले का मुकदमेबाजी करने से पूर्व निपटारा करना चाहता है;

(छ) “विधिक सेवा” में सम्मिलित है किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा देना और किसी विधिक विषय पर सलाह देना;

- (ज) "लोक अदालत" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अध्याय-छह के अधीन आयोजित लोक अदालत;  
 (झ) "न्याय सेवा सदन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के सिविल जिलों में स्थापित न्याय सेवा सदन;  
 (ञ) "न्याय सेवा सदन का भारसाधक अधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष.

3. उद्देश्य.—सिविल जिलों में न्याय सेवा सदनों की स्थापना, विधिक सहायता तथा सलाह उपलब्ध कराने, लोक अदालत आयोजित कराने, विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करने तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों के लिए वास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई है.

4. प्रबंध तथा नियंत्रण.—"न्याय सेवा सदन" का प्रबंध तथा उस पर नियंत्रण, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (भारसाधक अधिकारी) का होगा.

5. न्याय सेवा सदन का उपयोग.—(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुज्ञा से न्याय सेवा सदन, विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध कराने, लोक अदालत आयोजित करने तथा विधिक साक्षरता शिविर आदि आयोजित करने के लिए उपलब्ध होगा और यह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों के ठहरने के लिए भी उपलब्ध रहेगा.

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के सिवाय किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः रात्रि में न्याय सेवा सदन में ठहरने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(3) न्याय सेवा सदन में पक्षकारों को वास सुविधा "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी.

6. न्याय सेवा सदन में पक्षकारों के ठहरने के लिए व्यवस्था.—(1) न्याय सेवा सदन में समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के और राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों को ही ठहरने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा. उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी को इसमें ठहरने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(2) पक्षकार से न्याय सेवा सदन में ठहरने के लिए कोई प्रभार अपेक्षित नहीं होगा. तथापि न्यूनतम जल तथा विद्युत प्रभार प्रतिपूर्ति के मद्दे, जैसा कि जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाये, जो कि प्रतिदिन रु. 5/- से कम तथा रु. 7/- से अधिक का नहीं होगा, उद्ग्रहणीय होगा. पक्षकार को भुगतान की रसीद दी जावेगी.

7. न्याय सेवा सदन का अनुरक्षण तथा रख-रखाव.—(1) भारसाधक अधिकारी, (जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) न्याय सेवा सदन का उचित अनुरक्षण तथा रख-रखाव पूरे समय सुनिश्चित करेगा, जिसमें सहायक ग्रेड-तीन (केयर टेकर) तथा एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी द्वारा उसकी सहायता की जाएगी.

(2) न्याय सेवा सदन की संपत्ति को कारित किसी हानि या नुकसान की सूचना केयरटेकर (सहायक ग्रेड-तीन) द्वारा भारसाधक अधिकारी को लिखित में दी जाएगी तथा संपत्ति को ऐसी हानि या नुकसान की वसूली संबंधित अधिभोगी से की जाएगी. शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करने पर सहायक ग्रेड-तीन (केयरटेकर) ऐसी हानि या नुकसान के लिए दायी होगा.

8. अभिलेख का संधारण.—न्याय सेवा सदन से संबंधित अभिलेख न्याय सेवा सदन में ही संधारित किया जायेगा. इसके अलावा एक अधिभोगी रजिस्टर पृथक् से रखा जाएगा, जिसमें पक्षकार का नाम तथा पता, आगमन तथा प्रस्थान की तारीख और समय, भ्रमण का प्रयोजन और अधिभोग संबंधी प्रभारों की रकम के ब्यौरे, जिसमें उसके लिए भुगतान की गयी हानि, टूटफूट आदि की रकम संबंधी जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अधिभोगी रजिस्टर में पक्षकार के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे.

9. न्याय सेवा सदन का अनुरक्षण तथा मरम्मत.—न्याय सेवा सदन के अनुरक्षण तथा मरम्मत में उपगत होने वाले संभावित व्यय राज्य सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे.

10. न्याय सेवा सदन निधि.—प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी:—

- (क) न्याय सेवा सदन के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संदत्त की गयी समस्त धनराशि या दिये गये अनुदान;
- (ख) ऐसे अनुदान या दान, जो न्याय सेवा सदन के प्रयोजन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिये जाए;
- (ग) जल एवं विद्युत् आदि के उपयोग के मददे पक्षकार से प्राप्त प्रभार;
- (घ) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी कोई अन्य रकम;
- (ङ) न्याय सेवा सदन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी कोई अन्य रकम.

11. लेखा और संपरीक्षा.—प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सेवा सदन के समुचित लेखे तथा सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों का एक वार्षिक विवरण, जिसमें प्राप्तियां और व्यय सम्मिलित हैं, तैयार करेगा और समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आने वाली आडिट पार्टी को ऐसा समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा.

12. आकस्मिकता निधि की व्यवस्था.—दिन प्रतिदिन के आनुषंगिक व्ययों की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए रु. 1,000/- (रुपये एक हजार) का स्थायी अग्रिम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के अधिकार में होगा.

13. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—यदि इन नियमों के निर्वचन और न्याय सेवा सदन के अनुरक्षण तथा उपयोग आदि के संबंध में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो उस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पेट्रन-इन-चीफ का विनिश्चय अंतिम होगा.

F. No.6-6-06-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules, namely:—

## RULES

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Nyay Seva Sadan Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);
- (b) “Chief Justice” means the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh;
- (c) “Executive Chairman” means the Executive Chairman of the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;
- (d) “State Authority” means State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;
- (e) “Chairman” means the Chairman of the District Authority, or as the case may be the Chairman of the Taluk/Tehsil Legal Services Committee;
- (f) “Pakshakar” means a person, whose case is pending before the Court/Tribunal or one who wants to settle his dispute/case as pre-litigation matter;

- (g) "Legal Services" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any Court or other authority or Tribunal and the giving of advice on any legal matter;
- (h) "Lok Adalat" means a Lok Adalat organized under Chapter VI of the Act;
- (i) "Nyay Seva Sadan" means the Nyay Seva Sadan established in the Civil District of State of Madhya Pradesh;
- (j) "Officer-in-charge of Nyay Seva Sadan" means Chairman of the concerned District Legal Services Authority.

3. **Object.**—Nyay Seva Sadans have been established in the Civil Districts with a view to provide Legal Aid and Advice, to hold Lok Adalat, to organize Legal Literacy Camps and to provide accommodation for the Pakshakar belonging to poor and weaker sections of the society and coming from remote areas.

4. **Management and Control.**—Management and Control over the Nyay Seva Sadan shall be of the District Judge/Chairman, District Legal Services Authority (Officer-in-Charge).

5. **Use of Nyay Seva Sadan.**—(1) With prior permission of the Chairman of the District Legal Services Authority, the Nyay Seva Sadan will be available for providing Legal Aid and Advice, holding Lok Adalat and organizing Legal Literacy Camps etc. and it will also be available for stay of the Pakshakar, poor and belonging to weaker Sections of the society and coming from remote areas of the State.

(2) No person shall ordinarily be permitted to stay in Nyay Seva Sadan during the night except with the written permission of the Chairman, District Legal Services Authority.

(3) Accommodation in Nyay Seva Sadan will be made available to Pakshakar on the basis of first come First served.

6. **Arrangement for Staying Pakshakar in Nyay Seva Sadan.**—(1) Only the pakshakar, poor and belonging to weaker sections of the society and coming from remote areas of the State will be allowed to stay in Nyay Seva Sadan. A part from them, no other person/officer/employee shall be allowed to stay in it.

(2) The Pakshakar Shall not be required to pay any charges for stay in the Nyay Seva Sadan. However minimum water and electricity charges towards reimbursement, as may be fixed by the District Judge/Chairman, District Legal Services Authority, shall be leviable which may not be less than Rupees 5/- and more than Rs. 7/- per day. A receipt of payment, shall be given to the Pakshakar.

7. **Maintenance and upkeep of the Nyay Seva Sadan.**—(1) The Officer-in-Charge (District Judge/Chairman, District Legal Services Authority) shall ensure proper maintenance and up keep of the Nyay Seva Sadan all the time for which he will be assisted by an Assistant Grade III (Care Taker) and a Class IV employee.

(2) Any loss or damage caused to the property of the Nyay Seva Sadan, shall be intimated by the Care Taker (Assistant Grade-III) in writing to the Officer-in-Charge and the value of such loss or damage to the property shall be recovered from the concerned occupant, failure in the discharge of official duties, Assistant Grade-III (Care Taker) shall be liable for the loss or damage.

8. **Maintenance of Record.**—Record relating to Nyay Seva Sadan shall be maintained in the Nyay Seva Sadan itself. A part this, an occupancy register shall have to be maintained separately which shall contain information regarding name and address of the Pakshakar, date and time of arrival and departure, purpose of visit and the details of amount of occupancy charges alongwith amount of loss, breakage etc. paid therefor. Signature of the Pakshakar shall also be obtained in the occupancy register.

9. **Maintenance and Repairs of Nyay Seva Sadan.**—The expenses likely to be incurred in the maintenance and repairs etc. of the Nyay Seva Sadan shall be made available by the State Government in Law and Legislative affairs department.



10. **Nyay Seva Sadan Nidhi.**—Every District Legal Services Authority shall establish a Nidhi to be called the “Nyay Seva Sadan Nidhi” and there shall be credited thereto:—

- (a) All sums of money paid or any grant made by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority to the district Legal Services Authority for the purpose of Nyay Seva Sadan;
- (b) All such grants or donations that may be made to the District Legal services authority by any person or institution, with prior approval of the State Authority for the purpose of Nyay Seva Sadan;
- (c) The charges received from the Pakshakar to wards use of water and electricity etc;
- (d) Any other amount received from any other source;
- (e) Any other amount provided by the State Government for the purpose of Nyay Seva Sadan.

11. **Accounts and Audit.**—Each District legal Services Authority shall maintain proper accounts and relevant records of the Nyay Seva Sadan and prepare an annual statement of accounts including receipts and expenditure and all such records be made available from, time-to-time to the audit party visiting, the office of the District Legal Services Authority.

12. **Arrangement of Contingency Fund.**—For the purpose to meet the day to day incidental expenditure a permanent advance of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand) shall be at the disposal of the Secretary of the District Legal Services Authority.

13. **Power to Remove Difficulties.**—If any difficulty arises as to interpretation of the above rules and maintenance and uses etc. of the Nyay Seva Sadan, the decision of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh/Patron-in-Chief of Madhya Pradesh State Legal Services Authority shall be final.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

